18वां

वार्षिक प्रतिवेदन

2017-18

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट

UDAAN

cgtmse

"इसमें मुझे कोई संदेह नहीं कि अगर हम लघु उद्योगों की मदद करते हैं तो राष्ट्रीय सम्पदा को समृद्ध करते हैं।
मुझे इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि सच्चे स्वदेशी इन गृह–उद्योगों को प्रोत्साहित और पुनर्जीवित करते हैं।
यह लोगों की रचनात्मकता और साधनसंपन्नता को दर्शाने का एक जरिया भी है।
यह देश में सैकड़ों युवाओं को जिन्हें रोजगार की जरूरत है, रोजगार प्रदान कर सकता है।
इससे वर्तमान में व्यर्थ होने वाली सभी ऊर्जा को एक नई दिशा दी जा सकती है।"

"I have no doubt in my mind that we add to the national wealth if we help the small-scale industries. I have no doubt also that true Swadeshi consists in encouraging and reviving these home industries. It also provides an outlet for the creative faculties and resourcefulness of the people. It can also usefully employ hundreds of youths in the country who are in need of employment. It may harness all the energy that at present runs to waste."

-Mahatma Gandhi

विषय-सूची

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	प्रेषण पत्र	2
2.	अध्यक्ष का संदेश	3
3.	न्यासी मंडल	5
4.	सिंहावलोकन	7
5.	वर्ष 2017-18 के कार्यनिष्पादन की झलकियाँ	13
6.	लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	23
7.	तुलन-पत्र और लेखा विवरण	24

View our Annual Report online
www.cgtmse.in

प्रेषण पत्र

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट,
सिडबी, एमएसएमई डेवलपमेंट सेंटर, छठा तल, सी–11, जी–ब्लॉक,
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लैक्स, बांद्रा (पूर्व), मुम्बई–400051

9 अक्तूबर, 2018

सेवा में
अपर सचिव एवं विकास आयुक्त (एमएसएमई)
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार
कार्यालय विकास आयुक्त (एमएसएमई)
निर्माण भवन, 7वां तल, 'ए' विंग,
मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली–110108

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
प्रधान कार्यालय, सिडबी टॉवर, 15, अशोक मार्ग,
लखनऊ–226001

प्रिय महोदय,

भारत सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, अवस्थापकों द्वारा निष्पादित ट्रस्ट की घोषणा के खंड 14.2 के निबंधनानुसार, मैं निम्नलिखित दस्तावेज एतद्द्वारा अग्रेषित कर रहा हूँ:

(i) 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष से संबंधित ट्रस्ट के लेखापरीक्षित लेखा एवं लेखापरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति, और

(ii) 31 मार्च, 2018 को समाप्त अवधि के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट के कार्यकलापों पर एक रिपोर्ट की प्रति।

भवदीय
हस्ता./–
(संजय एन. सिंह)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थानः मुम्बई

अध्यक्ष का संदेश

मैं आशावान हूँ कि सीजीटीएमएसई द्वारा वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में निभाई गई एक उदारवादी भूमिका नई पीढ़ी के उद्यमियों को उनके उद्यम संबंधी कार्य में निरंतर लाभ पहुँचाएगी।

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) ने अपने गठन के पिछले 18 वर्षों में स्वयं को सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई) क्षेत्र की इकाईयों को संपार्श्विक प्रतिभूति से मुक्त ऋण उपलब्ध कराने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में स्थापित किया है। सीजीटीएमएसई ने वर्तमान गारंटी योजनाओं में कई संरचनात्मक बदलावों की शुरूआत की है जो योजनाओं को सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं के लिए अधिक आकर्षक बनाएंगे और एमएसई क्षेत्र के लिए ऋण–प्रवाह को बढ़ाने में सक्षम होंगे।

ट्रस्ट ने वित्तीय वर्ष 2018 में ₹ 1,46,000 करोड़ से अधिक की सकल ऋण राशि के साथ 30 लाख से अधिक संचयी गारंटी अनुमोदन किए हैं।

20 फरवरी, 2018 को आयोजित कार्यक्रम ''रिबूटिंग सीजीटीएमएसई'' के दौरान, सीजीटीएमएसई ने कई नीतिगत बदलावों जैसे सही समय पर पुनर्भुगतान करने वाले अनुशासित कर्जदारों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुमोदित राशि के स्थान पर बकाया ऋण पर शुल्क लगाने, सीजीएस के अधीन पात्र क्रियाकलाप के रूप में रिटेल ट्रेड का समावेशन, आंशिक संपार्श्विक प्रतिभूति की अनुमति, ₹50 लाख से अधिक के ऋणों के लिए गारंटी कवरेज वर्तमान 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत की सीमा तक करने की घोषणा की है और बाद में इनका कार्यान्वयन किया है।

सीजीटीएमएसई अब पोर्टल पर अपना आवेदन करने वाले एमएसई के लिए क्रेडिट गारंटी हेतु सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए अंतर्निहित विश्लेषणात्मक तंत्र के साथ एक पोर्टल स्थापित करने के कार्य में संलग्न हैं। यह उद्यमिता और एमएसई के लिए ऋण प्रवाह को बढ़ायेगा।

सीजीटीएमएसई ने इस स्तर तक पहुंचने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया है और इसके समस्त परिचालन अब ऑनलाइन हैं। अपनी परिचालनरत प्रक्रियाओं में सुधार करने तथा अपनी सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ट्रस्ट ने अपनी प्रौद्योगिकी को अधिक उन्नत बनाया है जिससे कार्यक्षमता बढ़ सकें और ग्राहक सेवा को और बेहतर किया जा सकें।

वित्तीय वर्ष 2018 के दौरान ₹19,066 करोड़ की राशि के साथ कुल 2,63,195 गारंटियों को अनुमोदित किया गया। संचयी रूप में, 31 मार्च, 2018 को कुल 30,29,948 खातों के लिए ₹1,46,829 करोड़ की गारंटियां अनुमोदित की गई। यह ध्यान देने योग्य बात है कि एसएमई क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह पर सीजीटीएमएसई का सकारात्मक प्रभाव स्वीकार करते हुए भारत सरकार द्वारा इसे मान्यता दी गई है।

सीजीटीएमएसई पूरे विश्व में समान कार्यकलापों में संलग्न संस्थाओं के बीच विचारों एवं अनुभवों को साझा करने को सदैव प्रोत्साहन देता रहा है। वर्ष के दौरान ट्रस्ट ने एशियन क्रेडिट सप्लीमेंटेशन इंस्टीट्यूशन कॉन्फेडरेशन (एसीएसआईसी) के सदस्यों के साथ सक्रिय विचार–विमर्श किया।

मैं आशावान हूं कि सीजीटीएमएसई द्वारा वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में निभाई गई एक उदारवादी भूमिका नई पीढ़ी के उद्यमियों को उनके उद्यम संबंधी कार्य में निरंतर लाभ पहुँचाएगी। सीजीटीएमएसई द्वारा निभाई गई यह भूमिका भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, सदस्य ऋणदात्री संस्थानों के सभी सदस्यों और अन्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय साझेदार एजेंसियों के सक्रिय सहयोग एवं समर्थन के बिना कदापि संभव नहीं हो सकती थी। मैं सभी हितधारकों के समर्पित सहयोग के लिए उनकी सराहना करता हूं और मुझे दृढ़ विश्वास है कि इनके सतत् एवं सक्रिय सहयोग से सीजीटीएमएसई निरंतर नई ऊंचाईयां हासिल करेगा।

सादर,

हस्ता./–
मोहम्मद मुस्तफ़ा, आईएएस
अध्यक्ष, सीजीटीएमएसई

स्थानः मुम्बई
दिनांकः 21 सितम्बर, 2018

सीजीटीएमएसई का न्यासी मंडल

(1 सितम्बर, 2018 को स्थिति)

श्री मोहम्मद मुस्तफ़ा, आईएएस अध्यक्ष (पदेन)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

श्री राम मोहन मिश्रा, आईएएस उपाध्यक्ष (पदेन)
अपर सचिव एवं विकास आयुक्त
एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार

श्री सुनील मेहता सदस्य (पदेन)
अध्यक्ष, भारतीय बैंक संघ (आईबीए)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
पंजाब नेशनल बैंक

श्री संजय एन. सिंह, सदस्य सचिव
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट

रिबूटिंग सीजीटीएमएसई
(20 फरवरी, 2018 को आयोजित कार्यक्रम)

सिंहावलोकन

एमएसई ऋणदायी विकास घटक

एमएसई क्षेत्र, विश्व के कई विकसित एवं विकासशील देशों में आर्थिक विकास का एक मुख्य आधार है। यह क्षेत्र भारत के विकास का इंजन है। देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के अलावा, एमएसई क्षेत्र बड़ी मात्रा में रोजगार के अवसर भी प्रदान करता है। एमएसई क्षेत्र अपेक्षाकृत लचीला है और इसने घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई उभरती चुनौतियों का सामना किया है ।

दाखिल किये गये जीएसटी रिटर्न की संख्या में उच्च हिस्सेदारी

एमएसई क्षेत्र वर्तमान में दाखिल किये गये जीएसटी रिटर्न की कुल संख्या में 90.2 प्रतिशत तक योगदान देता है और कुल कर में 15.8 प्रतिशत योगदान देता है। ऐसे औपचारिक आय स्रोत त्वरित ऋण मूल्यांकन में एमएलआई की मदद करेंगे।

रोजगार सृजन

630.52 लाख अनुमानित उद्यमों के साथ लघु क्षेत्र 1076.19 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है जो लगभग 97 प्रतिशत हिस्सेदारी हैं और 3.31 लाख उद्यमों के साथ लघु क्षेत्र एमएसएमई क्षेत्र में कुल रोजगार का 31.95 लाख (2.88 प्रतिशत) रोजगार प्रदान करता है।

क्रेडिट कवरेज में वृद्धि

वर्ष–दर–वर्ष क्रमशः 22.3 प्रतिशत और 18.4 प्रतिशत वृद्धि के साथ सूक्ष्म (₹1 करोड़ से कम जोखिम) और एसएमई खण्ड (₹1 करोड़–25 करोड़) ₹14.3 लाख करोड़ क्रेडिट जोखिम (24.3 प्रतिशत वाणिज्यिक क्रेडिट जोखिम) संस्थापित करता है।

कम संकेन्द्रण जोखिम

वित्तीय वर्ष 2018 के अंत में लगभग 5 प्रतिशत समग्र बैंक नॉन–फूड क्रेडिट के रूप में एमएसई क्रेडिट के साथ इस क्षेत्र में बही खाता आकार को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त अवसर हैं।

कम एनपीए प्रचलन के साथ जोड़कर उपरोक्त घटकों के आधार पर एमएसई क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2019 में वृद्धि का अनुमान है।

स्रोतः आरबीआई डाटा / एमएसएमई वार्षिक रिपोर्ट 2017–18 / एमएसएमई पल्स रिपोर्ट

एमएसई क्षेत्र में सीजीटीएमएसई की उत्प्रेरक भूमिका

एमएसई क्षेत्र के विकास के लिए सरकार द्वारा क्रेडिट गारंटी योजनाएं लागू की गई हैं

ट्रस्ट द्वारा प्रदान किये गये गारंटी आधार के लिए धन्यवाद, एमएलआई, एमएसई उद्यमियों के लिए ऋणों के विस्तार करने में सक्षम हैं जो कि अन्यथा संपार्श्विक एवं व्यक्तिगत गारंटी की कमी के कारण इसके लिए वंचित रह जाते। यह क्षेत्र में ऋण लेने के लिए सक्षम उद्यमियों हेतु ऋण प्रवाह को सुगम बनाता है। इसके अतिरिक्त, चूंकि यह लाभ विशेष रूप से एमएसई क्षेत्र तक सीमित है, जिनका भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास और रोजगार सृजन दोनों में महत्वपूर्ण स्थान है, उसी में से सकारात्मक बाह्य कारक भी कई गुना हैं।

प्रमुख नीतिगत बदलाव

सीजीटीएमएसई ने क्रेडिट गारंटी योजनाओं (सीजीएस) को एमएलआई के लिए अधिक आकर्षक बनाने हेतु प्रमुख नीतिगत बदलाव किये हैं जो एमएसई क्षेत्र में ऋण प्रवाह को बढ़ाने में सक्षम होंगे। एमएसएमई, भारत सरकार और सीजीटीएमएसई द्वारा संयुक्त रूप से 20 फरवरी, 2018 को आयोजित कार्यक्रम ''रिबूटिंग सीजीटीएमएसई'' में कई बदलावों का शुभारंभ किया गया :

गारंटी कवरेज की सीमा बढ़ाना

₹50 लाख से अधिक के प्रस्तावों के लिए गारंटी कवरेज वर्तमान 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत की सीमा तक करना।

अनुमोदित राशि के स्थान पर बकाया राशि पर शुल्क लगाना

सीजीटीएमएसई के अंतर्गत अनुमोदित राशि के बजाय बकाया ऋण राशि पर वार्षिक गारंटी शुल्क (एजीएफ) लगाना। यह सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं (एमएलआई) की काफी लम्बे समय से मांग रही है और इस बदलाव के साथ एमएलआई से गारंटी आधारित ऋणों को लेने में वृद्धि होने का अनुमान है। इसके अलावा, यह बदलाव अनुशासित एमएसई कर्जदारों को भी प्रोत्साहित करेगा।

पात्र कार्यकलाप के रूप में एमएसई रिटेल का समावेशन

एमएसई रिटेल ट्रेडर्स' क्षेत्र को शामिल करने के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएस) के कवरेज का विस्तार करना। यह समावेशन बड़ी मात्रा में विस्तार करने में सक्षम होगा जैसा कि इस खण्ड का एसएमई क्षेत्र में बड़ा हिस्सा है।

आंशिक संपार्श्विक प्रतिभूति की अनुमति

क्रेडिट गारंटी योजना के अधीन आंशिक संपार्श्विक प्रतिभूति के साथ ऋणों की अनुमति देना। यह क्रेडिट गारंटी दायरे के अधीन बड़ी संख्या में ऋणों को लाने के अलावा अनुशासनात्मक क्रेडिट संव्यवहार को बढ़ावा देने में भी सहायता करेगा।

अदायगी सीमा की शुरूआत

ट्रस्ट को संधारणीयता बनाये रखने के उद्देश्य से एमएलआई द्वारा भुगतान किये गये शुल्क एवं वसूली के आधार पर कुल दावा निपटान की सीमा का शुभारंभ किया गया है। संबंधित एमएलआई के दावों को पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान की गई वसूली सहित शुल्क के 2 गुना के बराबर निपटान किया जाएगा।

सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं के साथ सीजीटीएमएसई की भागीदारी

सीजीटीएमएसई गारंटी उत्पादों की विशेषताओं में वृद्धि और ऋण प्रवाह को बढ़ाने के लिए एमएलआई के साथ निरंतर जुड़ा रहता है

सूचना का प्रसार

सीजीटीएमएसई इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि योग्य ग्राहक छूट न जाएं, क्रेडिट गारंटी योजनाओं के बारे में एमएलआई के ग्राउंड स्टॉफ के लिए प्रशिक्षण आयोजित करता है।

सक्रिय प्रक्रिया सुधार

सीजीटीएमएसई सीजीएस प्रचालनों की कार्यप्रणाली को सुगम बनाने के उद्देश्य से अपनी परिचालनरत प्रक्रियाओं में सुधार करता है।

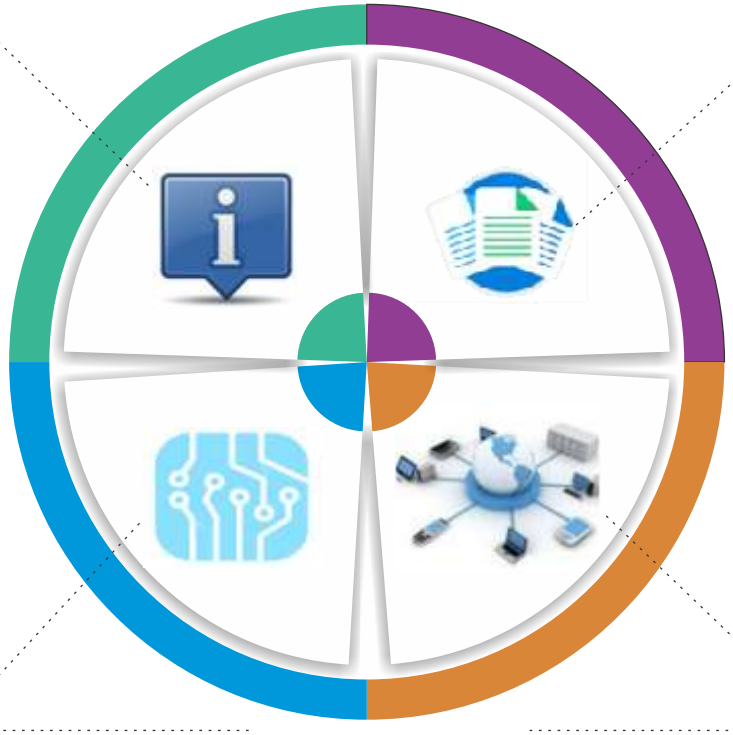

योजना निर्दिष्ट उत्पादों का डिजाइन

अंतिम लाभार्थी तक योजना का लाभ पहुंचाने पर विशेष ध्यान देते हुए सीजीएस के लाभों के अधिक विस्तार के लिए उत्पादों के डिजाइन में सहायता के लिए एमएलआई के साथ जुड़ा रहता है।

सीजीटीएमएसई और बैंक आईटी सिस्टम के बीच एकीकरण योजना

प्रचालनों में सामंजस्य के लिए बैंक और ट्रस्ट की आईटी अवसंरचनाओं को एकीकृत किया जा रहा है।

सीजीटीएमएसई द्वारा जोखिम के एक भाग का वहन करने के साथ एमएलआई क्रेडिट की पहुंच को बढ़ा सकते हैं

एक सफल क्रेडिट गारंटी पारिस्थितिकी तंत्र एमएलआई के साथ रचनात्मक साझेदारी के बिना अधूरा है। सीजीटीएमएसई कम से कम मानव हस्तक्षेप और बेहतर प्रक्रियाओं को अपनाकर तेजी से बदलाव लाने हेतु आईटी अवसरंचना को एकीकृत करने की दिशा में कार्यरत हैं। इसके अलावा, सीजीटीएमएसई अपने एमएलआई के साथ न केवल व्यवसाय संख्याओं को बढ़ाने बल्कि सूचना के प्रसार और नये उत्पाद डिजाइन के भाग के रूप में एलएलआई को संयुक्त रूप से शामिल करने के लिए लगातार बातचीत करता है। ऐसे सक्रिय एवं दोहरे संवाद के साथ एमएसई के लिए गारंटी परिवेश में चौतरफा वृद्धि और सभी हितधारकों के लिए लाभ का अनुमान है।

"नए लोगों" को अपनाना

UDAAN
cgtmse

लोगो

सीजीटीएमएसई की परिवर्तनकारी यात्रा इसके लोगो के बदलाव के साथ प्रारंभ हुई। नया लोगो, एक ''रंगबिरंगी उड़ती चिड़ियां'' जो कि देश के लाखों युवाओं, जिनके पास नवीन व्यवसाय विचार हैं लेकिन संपार्श्विक प्रतिभूति और/या औपचारिक स्रोत से क्रेडिट लेने हेतु तीसरा पक्ष गारंटी की कमी है, में उद्यमिता जोश को बल देने का प्रतीक है। सीजीटीएमएसई ऐसे लोगों को ऋण की पहुंच तक सक्षम बनाने और एक विकासक्षम सूक्ष्म एवं लघु उद्यम स्थापित करने के लिए गारंटी प्रदान करके उनकी सहायता करता है और युवाओं को नौकरी की तलाश करने वाले से नौकरी देने वाले में परिवर्तित करके राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

ब्रांड उड़ान

''उड़ान'' एक ब्रांड के तौर पर भावी उद्यमियों एवं एमएसई के साथ योजनाओं को सीधे जोड़ेगा। यह छवि में सुधार लाने के साथ ही अपने व्यवसाय के लिए वित्त की पहुंच प्रदान करने हेतु युवा एमएसई उद्यमियों के बीच योजना का प्रसार करेगा। उड़ान एक ब्रांड के तौर पर नई पीढ़ी के उद्यमी, जो अधिकतर युवा है और देश के कई भागों से संबंधित है, उनके लिए अपने सपनों के संगठन को ''उड़ान'' अर्थात् तेजी से एक सफल संगठन में बदलते हुए देखना चाहते हैं, को साकार करेगा।

2017-18 के कार्य निष्पादन की झलकियाँ

1. सीजीटीएमएसई की समूह निधि

इस ट्रस्ट की ₹2,500 करोड़ की समूह निधि का अंशदान भारत सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा 4:1 के अनुपात में किया गया था। इस ट्रस्ट की प्रतिबद्ध समूह निधि अब बढ़कर ₹7,500 करोड़ है जिसका अंशदान भारत सरकार (₹7,000 करोड़) और सिडबी (₹500 करोड़) द्वारा किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2018 के दौरान, ट्रस्ट को भारत सरकार द्वारा किये गये समूह निधि अंशदान के रूप में ₹3,699.90 करोड़ प्राप्त हुए, जिससे समूह निधि की सकल धनराशि में भारत सरकार एवं सिडबी दोनों का अंशदान क्रमशः ₹5,699.90 करोड़ और ₹500.00 करोड़ हो गया। इस प्रकार, 31 मार्च, 2018 को ट्रस्ट की कुल प्रतिबद्ध समूह निधि ₹6,199.90 करोड़ थी। इस समूह निधि में वर्ष–वार योगदान का विवरण नीचे दिया गया है:

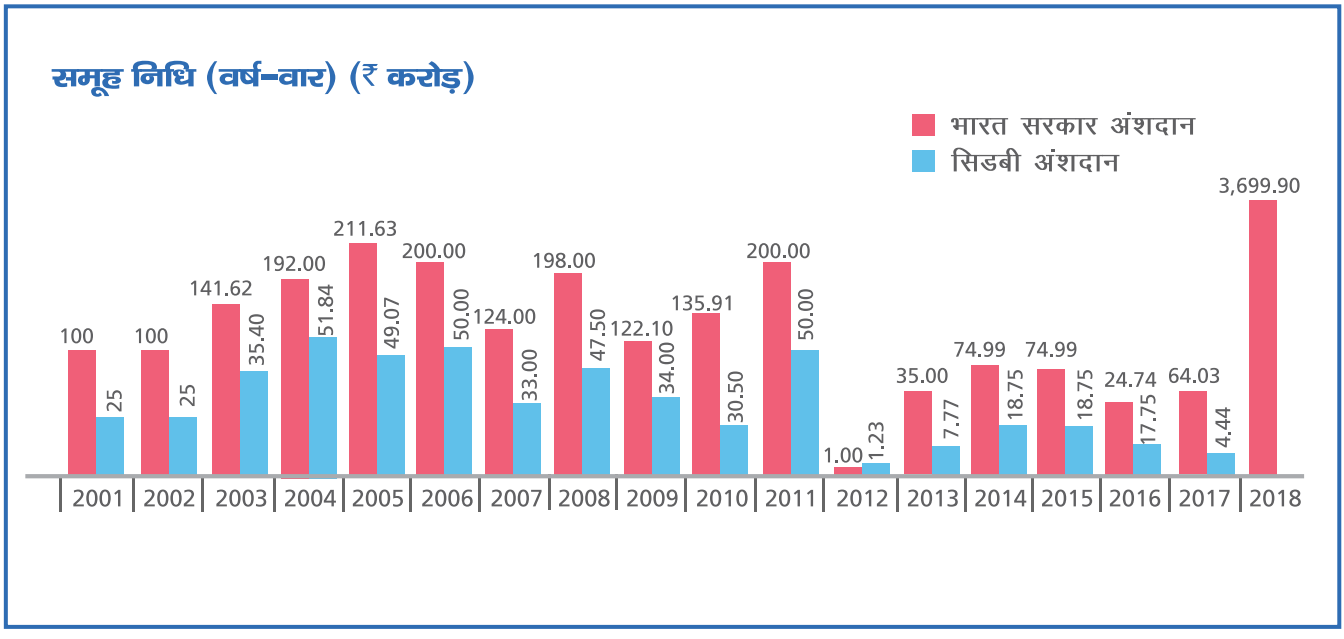

2. सदस्य ऋणदात्री संस्थाएं

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2013 से आरंभ हुए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के समामेलन के परिणामस्वरूप, वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018 की समाप्ति तक, सीजीटीएमएसई से गारंटी कवर प्राप्त करने वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 73 से घटकर 51 हो गई है। संशोधित पंजीकरण मानदंडों के अनुसार इन 51 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके गारंटी अनुमोदनों को जारी रखने के लिए ट्रस्ट के साथ पुनः पंजीकृत होना पड़ा। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, 51 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जो संशोधित पंजीकरण मानदंडों का अनुपालन करते थे, उन्हें सीजीटीएमएसई की सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं (एमएलआई) के रूप में पुनः पंजीकृत कर लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2018 के दौरान एमएलआई के रूप में पुनः पंजीकरण के लिए अनुसूचित लघु वित्त बैंक (एसएफबी) पात्र थे। 31 मार्च, 2018 को ट्रस्ट के एमएलआई की कुल संख्या 113 है। वर्तमान में ट्रस्ट से गारंटी कवर का लाभ उठाने के लिए 51 आरआरबी, 21 सार्वजनिक क्षेत्र बैंक, 20 निजी क्षेत्र बैंक, 5 विदेशी बैंक, 9 अन्य वित्तीय संस्थान, 1 लघु वित्त बैंक और 6 गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थान पंजीकृत एमएलआई हैं।

31 मार्च, 2018 को एमएलआई की संरचना

सदस्य ऋणदात्री संस्थाएं (एमएलआई)–113

3. ऋण गारंटी योजना के तहत परिचालन

3.1 31 मार्च, 2018 की समाप्ति तक कुल 95 सदस्य ऋणदात्री संस्थाएं गारंटी कवर प्राप्त कर रही थी। इस ट्रस्ट की स्थापना से लेकर 31 मार्च, 2018 तक दिये गये गारंटी अनुमोदनों का वर्षवार विवरण निम्नलिखित ग्राफ में दिया गया है:

अनुमोदित गारंटियों की संचयी राशि (₹ करोड़)

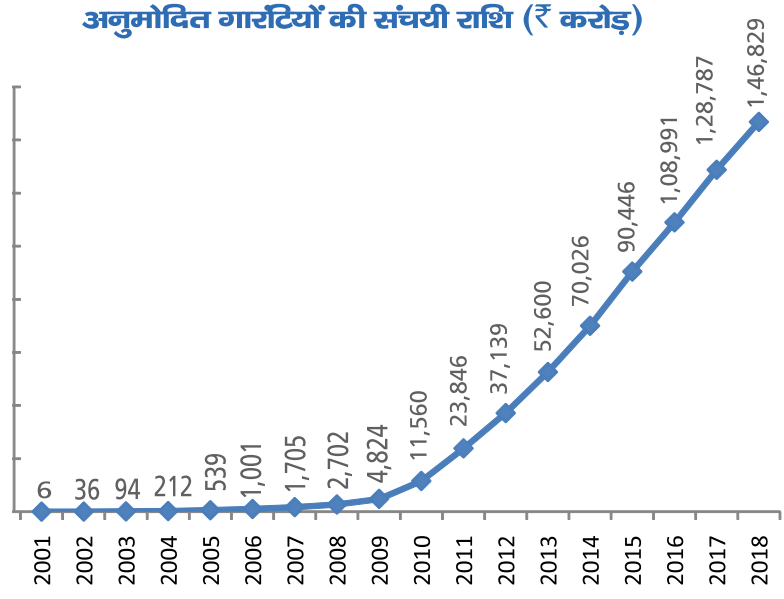

नोटः वास्तविक आंकड़ें मध्यवर्ती रद्दीकरण/संशोधनों के कारण बदल सकते हैं।

3.2 वित्तीय वर्ष 2018 के दौरान ₹19,066 करोड़ की राशि की कुल 2,63,195 गारंटियां अनुमोदित की गई थी। संचयी रूप से 31 मार्च, 2018 को कुल 30,29,948 खातों के लिए ₹1,46,829 करोड़ की गारंटी अनुमोदित की जा चुकी हैं। वित्तीय वर्ष 2018 के दौरान गारंटी राशि की सीमा ₹1 करोड़ से ₹2 करोड़ करने और बाद में इस सीमा में कवरेज को बढ़ाने के कारण औसत ऋण आकार बढ़ गया था।

3.3 वित्तीय वर्ष 2018 में गारंटी कवरेज – एमएलआई श्रेणीवार

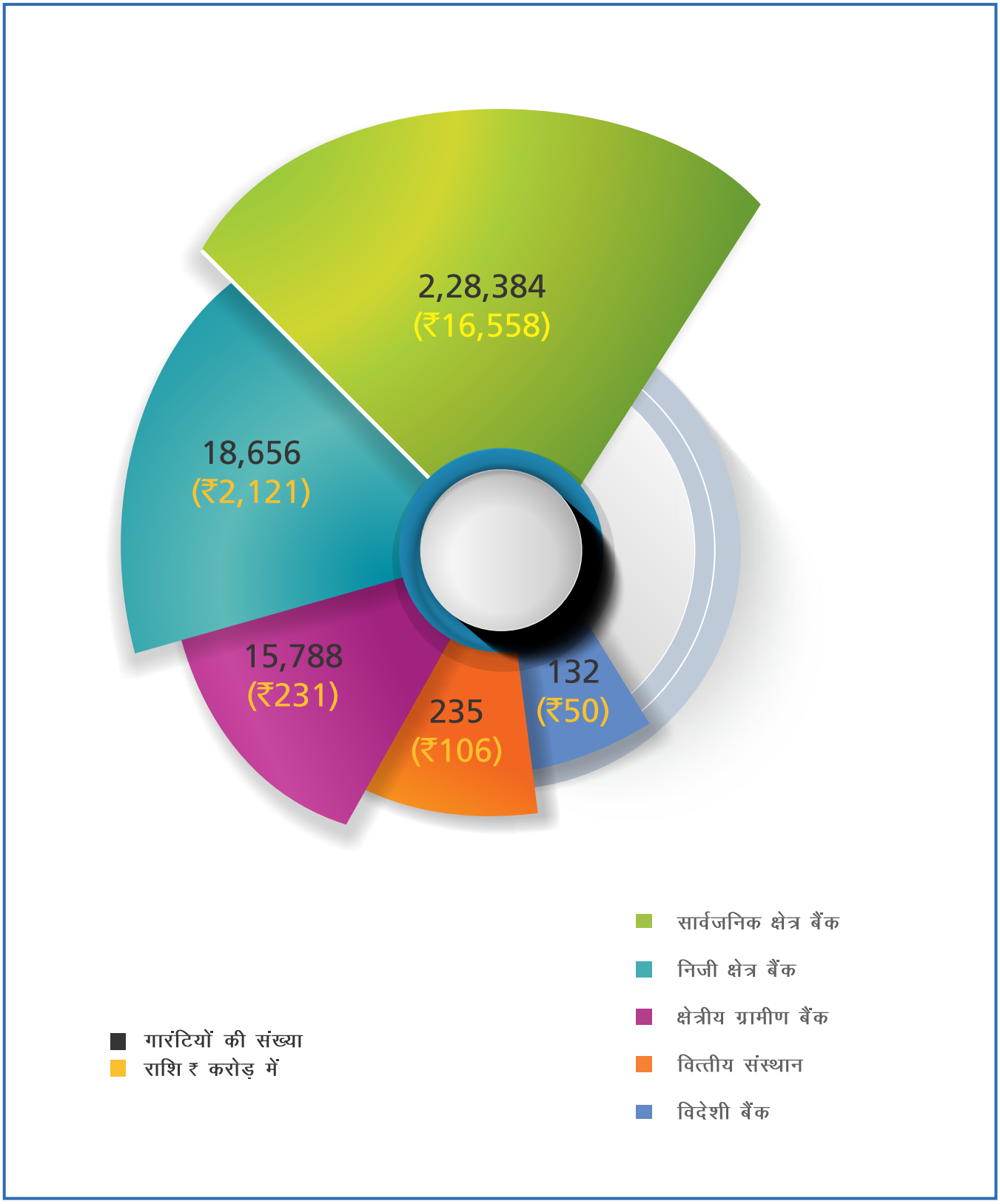

3.4 राज्यवार कवरेज

वित्तीय वर्ष 2017–18
● गारंटियों की सं.
▲ अनुमोदित राशि (₹ करोड़ में)

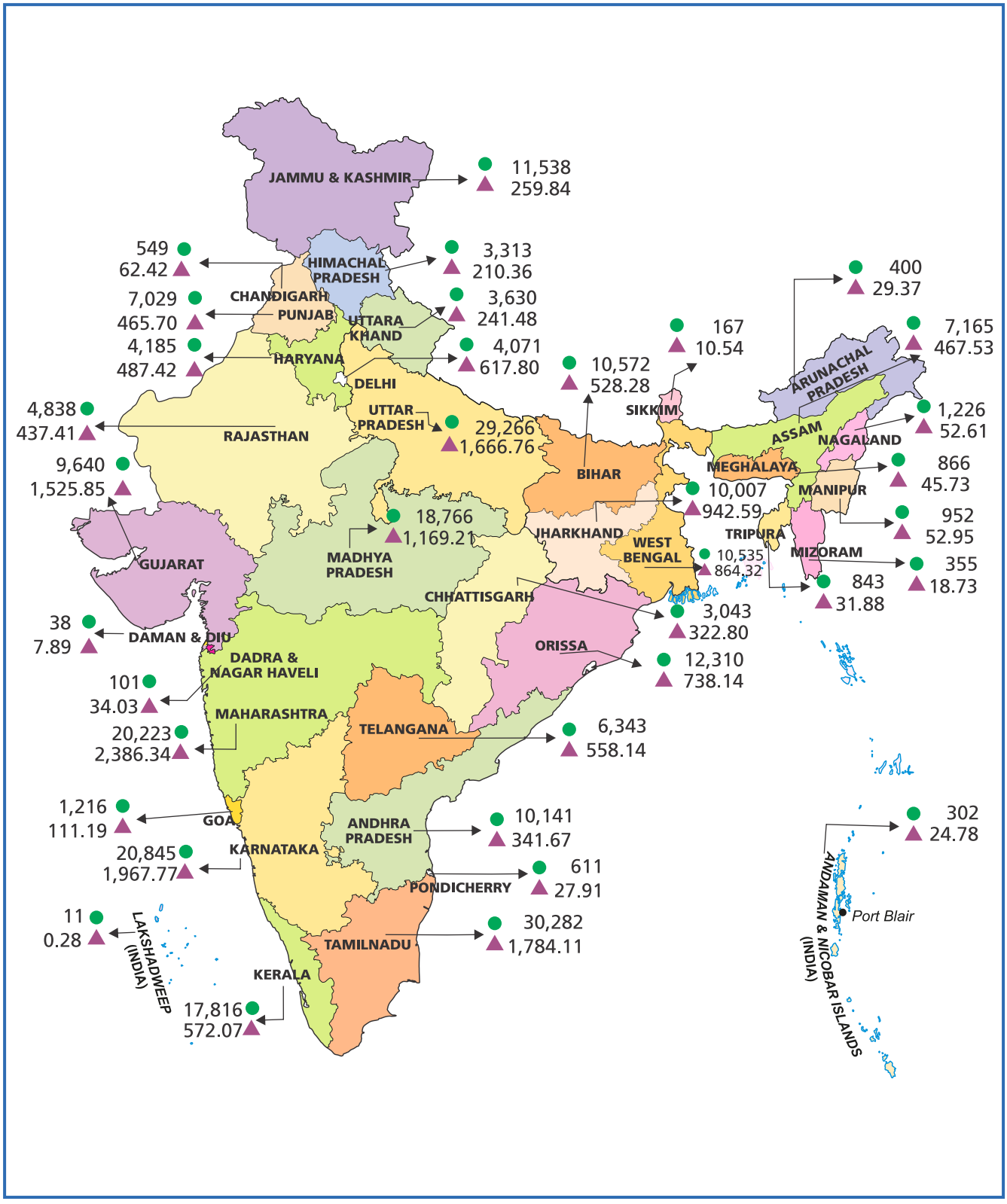

स्तरवार कवरेज

3.5 सीजीएस के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018 के दौरान स्तरवार कवरेज का ग्राफ नीचे दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2018 के दौरान अनुमोदित अधिकांश प्रस्ताव छोटे ऋणों से संबंधित थे। इस दौरान 1,86,371 प्रस्तावों के लिए ₹3,523 करोड़ का अनुमोदन प्रदान किया गया जो ₹5 लाख तक के ऋणों से संबंधित थे और संख्या की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2018 के लिए अनुमोदित कुल गारंटियों का 71 प्रतिशत है। वित्तीय वर्ष 2018 में अनुमोदित 2,63,195 प्रस्तावों की राशि ₹19,066 करोड़ है, इनमें से 74,283 प्रस्ताव (28 प्रतिशत) ऐसे थे जो ₹1 लाख तक ऋणों से संबंधित थे, कुल 54,204 प्रस्ताव (20.59 प्रतिशत) ऐसे थे जिनका क्रेडिट घटक ₹1,00,001 से ₹2 लाख के दायरे में था, 57,884 प्रस्ताव (21.90 प्रतिशत) ₹2,00,001 से ₹5 लाख, 38,451 प्रस्ताव (14.61 प्रतिशत) ₹5,00,001 से रु. 10 लाख, 23,848 प्रस्ताव (9.06 प्रतिशत) ₹10,00,001 से ₹25 लाख, 9,208 प्रस्ताव (3.49 प्रतिशत) ₹25,00,001 से ₹50 लाख और 5,317 प्रस्ताव (2 प्रतिशत) ₹50 लाख से अधिक से ₹200 लाख तक की श्रेणी के दायरे में थे।

वित्तीय वर्ष 2018 में स्तरवार गारंटी अनुमादित राशि प्रतिशतवार

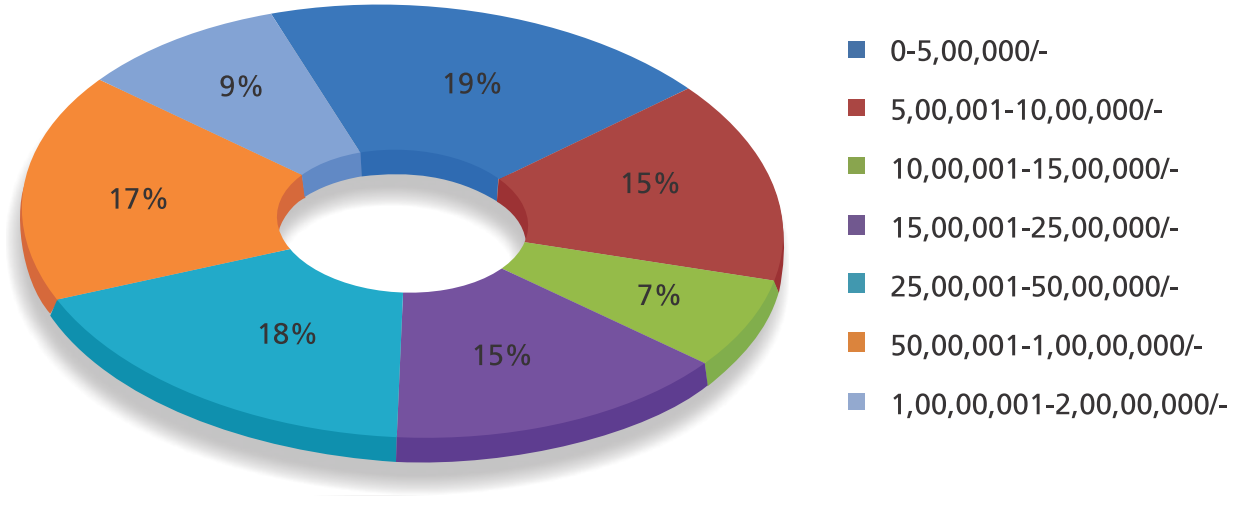

कवर किये गये ऋणों का औसत आकार

3.6 वित्तीय वर्ष 2018 के दौरान योजना के अंतर्गत कवर किये गये ऋणों का औसत आकार उल्लेखनीय रुप से बढ़कर ₹7.24 लाख हो गया है जबकि विगत वर्ष की संगत अवधि के दौरान यह आंकड़ा ₹ 4.41 लाख था। इसका मुख्य कारण गारंटी कवरेज ₹100 लाख से बढ़ाकर ₹200 लाख करना है।

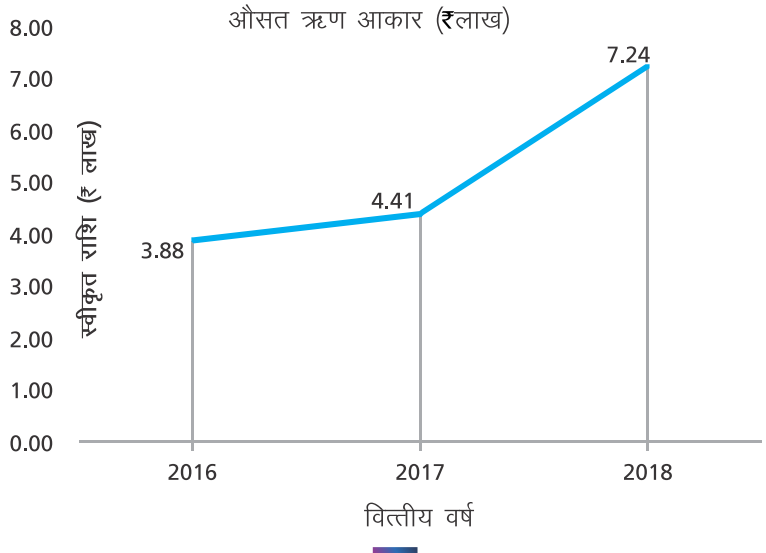

दावों का निपटान और समापन

3.7 वित्तीय वर्ष 2018 के दौरान 38,714 आवेदन गारंटी की मांग और चूककर्ता कर्जदारों के प्रति किये गये दावों के निपटान के लिए प्राप्त हुए जिनके लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट द्वारा गारंटी जारी की गई थी और यह गारंटी प्रभावी थी। वित्तीय वर्ष 2017 की समाप्ति पर पूर्व में दायर तथा निपटान के लिए लंबित आवेदनों तथा साथ ही वित्तीय वर्ष 2018 के दौरान प्राप्त आवेदनों में से 33,980 यूनिटों के संबंध में किये गये दावे प्रथम किस्त हेतु पहले ही निपटाए जा चुके हैं, जिनकी राशि ₹927.13 करोड़ है, इसके अलावा वित्त वर्ष के दौरान 2297 इकाइयों के द्वितीय और अंतिम निपटान के रूप में ₹40.66 करोड़ का भुगतान किया गया। 31 मार्च, 2018 को संचयी रूप से, ₹266.30 करोड़ के लिए 3,365 यूनिटों के दावों को अस्वीकृत किया गया और 1,192 यूनिटों के संबंध में ₹54.11 करोड़ के दावों को सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा वापस लिया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2018

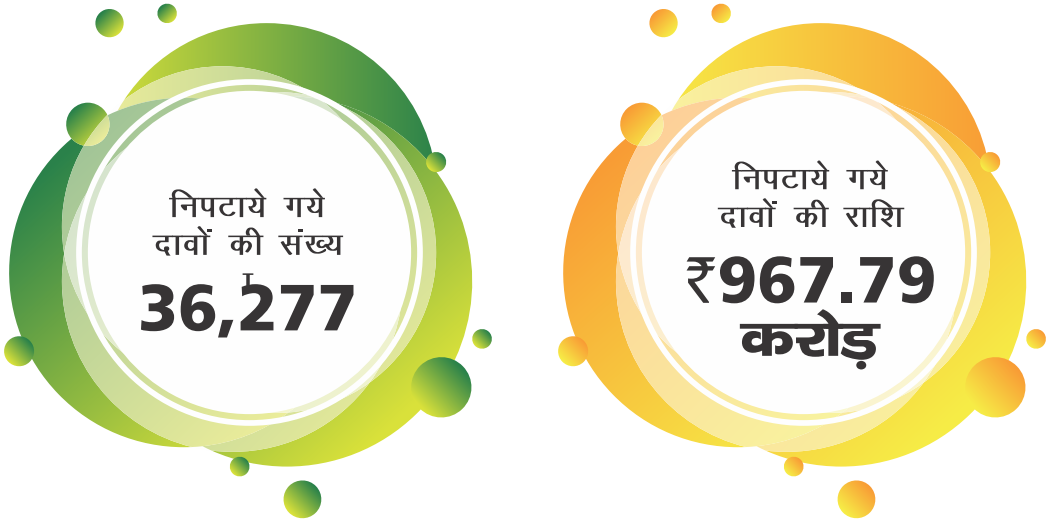

दावेत्तर निपटान वसूलियां

3.8 वित्तीय वर्ष 2018 के दौरान दावेत्तर निपटान वसूलियों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2017 के दौरान प्राप्त ₹125.49 करोड़ की तुलना में ट्रस्ट को इस खाते में वित्तीय वर्ष 2018 के दौरान 177.94 करोड़ प्राप्त हुए। यह सुधार ट्रस्ट द्वारा दावेत्तर निपटान निगरानी प्रणाली पर ध्यान केन्द्रित करने के कारण हो पाया है। इसके अतिरिक्त, ट्रस्ट द्वारा प्रौद्योगिकी मंच के माध्यम से वसूली जमा प्रक्रिया को स्वचालित कर दिया गया है जिसने सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं के लिए वसूली राशि के विप्रेषण की दिक्कतों को कम कर दिया है।

4 कार्यशालाएं/प्रशिक्षण कार्यक्रम

योजना की पहुंच को मजबूत और व्यापक करने के उद्देश्य से योजना का लाभ उठाने में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को सक्षम बनाने के लिए सीजीटीएमएसई की संशोधित क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएस) पर जानकारी देने के लिए सीजीटीएमएसई ने सर्किल कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, स्टॉफ ट्रेनिंग सेन्टर आदि सहित विभिन्न स्तरों पर अपने सदस्य ऋणदात्री संस्थाओ के बैंक अधिकारियों के लिए विभिन्न कार्यशालाएं/प्रशिक्षण सत्र आयोजित किये और उसमें भाग लिया। वित्तीय वर्ष 2018 के दौरान, सीजीटीएमएसई ने कुल 123 जागरूकता कार्यक्रम/कार्यशालाएं/सेमिनार/बैठकों का आयोजन किया और आरबीआई आदि द्वारा आयोजित एनएमसीएबी में भाग लिया।

5 सीजीएस परिचालन का समग्र प्रभाव

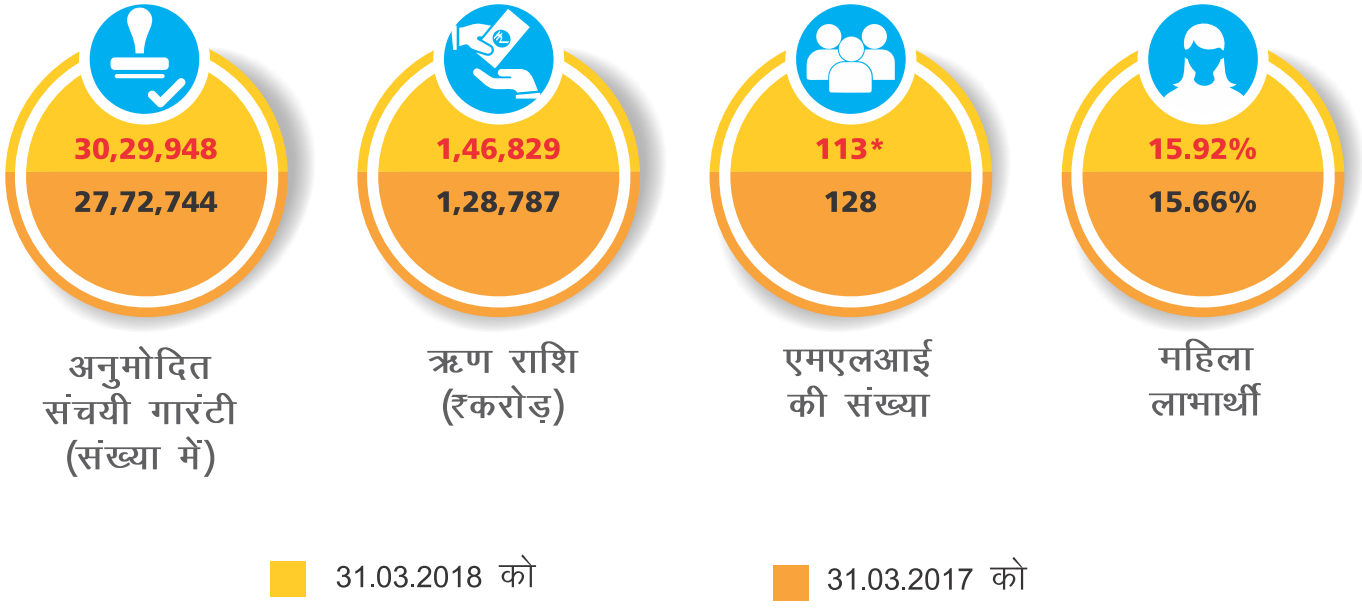

एन.बी.: मध्यवर्ती 'निरस्तीकरणों/संशोधनों के कारण वास्तविक आंकड़ों मे अंतर हो सकता है। ***समामेलन के बाद।

6 लेखापरीक्षा एवं लेखा

लेखापरीक्षा

क. वित्तीय वर्ष 2018 के लिए मैसर्स के. एस. संघवी एंड कं., मुम्बई, सनदी लेखाकार फर्म को सीजीटीएमएसई के आंतरिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। लेखापरीक्षकों ने सम्पूर्ण कम्प्यूटर प्रणालियों की व्यापक समीक्षा के साथ ही राजस्व व्यय, निवेश और राजस्व आय को शामिल करते हुए वित्तीय लेखापरीक्षा निष्पादित की ।

ख. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की गई अनुशंसा के अनुरूप बोर्ड ने वित्त वर्ष 2017–18 के लिए मैसर्स जैन त्रिपाठी एंड कं., मुम्बई, सनदी लेखाकार फर्म को सीजीटीएमएसई के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया ।

लेखा

ट्रस्ट ने ₹1,367.96 करोड़ की सकल आय अर्जित की जिसमें मुख्य रूप से गारंटी शुल्क (₹178.48 करोड़) और वार्षिक गारंटी एवं सेवा शुल्क (₹474.05 करोड़), निवेशों पर अर्जित ब्याज (₹537.17 करोड़) और सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं से हुई वसूली (₹177.94 करोड़) शामिल है। ट्रस्ट ने विभिन्न परिचालनगत तथा प्रशासनिक व्ययों के प्रति ₹7.70 करोड़ (विगत वर्ष ₹6.72 करोड़) की राशि खर्च की। वित्तीय वर्ष 2009 से वार्षिक प्रावधान, ट्रस्ट की देयताओं के बीमांकिक मूल्यांकनों के आधार पर किये जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2018 के लिए प्रावधानों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

विवरण	राशि (₹करोड़ में)
1 अप्रैल, 2017 को अथशेष	1,798.45
घटाएं : वर्ष के दौरान अदा किये गये दावे	967.79
जोड़ें : वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान	1,314.84
31 मार्च 2018 को इतिशेष	2,145.50

31 मार्च, 2018 को संचयी प्रावधान अनुमानित रूप से ₹2,145.50 करोड़ है। बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार दावों के प्रावधान के बाद व्यय से आय ₹45.19 करोड़ अधिक थी।

वर्ष के दौरान ट्रस्ट ने अपने अवस्थापकों, भारत सरकार से ₹3,699.90 करोड़ का समूह निधि अंशदान प्राप्त किया। यह राशि पूर्व में प्राप्त समूह निधि अंशदान और ट्रस्ट द्वारा अब तक अर्जित की गई निवल आय के साथ बैंकों/संस्थाओं की सावधि जमाओं में निवेश कर दी गई

है। समूह निधि का आकार 31 मार्च, 2018 को ₹6,199.90 करोड़ था। 31 मार्च, 2018 को कुल निधि ₹8,655.16 करोड़ (उपचित ब्याज घटाकर) थी जो कि विगत वर्ष के अंत में ₹4,611.94 करोड़ थी। 31 मार्च, 2018 को वापसी योग्य समूह निधि उपचित ब्याज घटक को जोड़ने के बाद ₹9,070.35 करोड़ थी। 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान संचयी रूप से जारी गारंटियों की राशि ₹1,46,829 करोड़ थी।

7 प्रबंधन एवं संगठन

वित्तीय वर्ष 2018 के दौरान न्यासी मंडल में सिडबी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पदेन अध्यक्ष, अपर सचिव एवं विकास आयुक्त (एमएसएमई), सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार पदेन उपाध्यक्ष, भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के अध्यक्ष पदेन सदस्य और सीजीटीएमएसई के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सदस्य सचिव के रूप में शामिल थे। वित्तीय वर्ष 2018 के दौरान न्यासी मंडल की चार बैठकें हुई। 31 मार्च, 2018 को मुख्य कार्यपालक अधिकारी सहित 4 अधिकारी सिडबी से सीजीटीएमएसई में प्रतिनियुक्ति पर थे।

सीजीटीएमएसई का न्यासी मंडल सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, विकास आयुक्त (एमएसएमई), सिडबी, आरबीआई, आईबीए, सीजीटीएमएसई के सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं, विश्व बैंक, विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय संस्थाओं तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग संघों से प्राप्त सहायता एवं सहयोग के लिए उनकी सराहना करता है।

लेखा विवरण

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

जैन त्रिपाठी एंड कं.
सनदी लेखाकार
मुख्यालयः 204–बी, रूबी अपार्टमेंट्स, सर एम.वी. मार्ग, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई–400069
फोन नं. 022–26830868 मोबाइल 09321028751 / 9869217845 ई–मेल admin@jaintripathi.com

सेवा मे
न्यासी मंडल
सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट
मुम्बई

1. हमने 31 मार्च, 2018 की यथास्थिति अनुसार सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट के संलग्न तुलनपत्र और उसके साथ संलग्न इसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाते और नकदी प्रवाह विवरण की लेखापरीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी न्यासी प्रबंधन की है। हमारा दायित्व यह है कि हम अपने लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के बारे में अभिमत व्यक्त करें।

2. भारत में सामान्यतया स्वीकार्य लेखांकन मानकों के अनुसार हमने लेखापरीक्षा निष्पादित की है । उन मानकों के अंतर्गत यह अपेक्षित है कि हम अपनी लेखापरीक्षा की योजना और निष्पादन इस प्रकार करें कि वित्तीय विवरणों के तथ्यगत मिथ्याकथनों से मुक्त होने के विषय में समुचित रूप से आश्वस्त हुआ जा सकें। लेखापरीक्षा में परीक्षण के आधार पर जांच, वित्तीय विवरणों की घोषणाओं और धनराशियों के समर्थन में साक्ष्यों को शामिल किया जाता है। लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत लेखांकन सिद्धांतों और किये गये महत्वपूर्ण अनुमानों के आकलन के साथ–साथ समग्र वित्तीय प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा लेखाओं का युक्तिसंगत आधार प्रस्तुत करती है।

3. हम निम्नानुसार सूचित करते हैं किः

क. हमने वे सभी जरूरी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त किये जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन हेतु आवश्यक थे।

ख. हमारा अभिमत है कि लेखा बहियों की हमने जो जांच की है, उससे यह प्रतीत होता है कि ट्रस्ट ने कानूनन अपेक्षित समुचित लेखा बहियों का रखरखाव किया है।

ग. इस रिपोर्ट में जिस तुलनपत्र, आय एवं व्यय खाते तथा नकदी प्रवाह विवरण का उल्लेख किया गया है, वह लेखा बहियों के अनुरूप है।

घ. हमारी राय में वित्तीय विवरणों और उनके साथ पठित टिप्पणियां भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार सही और उचित स्थिति प्रस्तुत करती हैं।

i) तुलनपत्र के मामले में 31 मार्च, 2018 को ट्रस्ट के कामकाज के मामले में

ii) आय एवं व्यय लेखाओं के मामले में इसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए ट्रस्ट के अधिशेष के बारे में।

iii) नकदी प्रवाह विवरण के मामले में इसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए ट्रस्ट के नकदी प्रवाह के बारे में।

कृते जैन त्रिपाठी एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 103979डब्ल्यू

हस्ता./–
डी.पी. त्रिपाठी
साझेदार
एम. नं. 013593

स्थानः मुम्बई
तिथिः 20.09.2018

तुलन–पत्र

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई)
31 मार्च 2018 की स्थिति का तुलन–पत्र

विवरण	अनुसूचियां	31.03.2018 को		31.03.2017 को	
		(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
निधियों का स्रोत					
समूह निधि	1		72,13,97,53,855		34,68,86,04,114
सामान्य निधियां	2		74,20,662		74,20,662
चालू देयताएं एवं प्रावधान	3		23,57,62,77,330		18,84,73,33,785
कुल			**95,72,34,51,847**		**53,54,33,58,561**
निधियों का अनुप्रयोग					
स्थायी परिसम्पत्तियां					
कम्प्यूटर एवं सॉफ्टवेयर		2,85,69,407		2,40,97,314	
घटाएं: मूल्यह्रास आरक्षिती		1,97,83,423	87,85,984	1,84,48,240	56,49,074
फर्नीचर एवं फिक्चर		13,81,329		12,37,595	
घटाएं: मूल्यह्रास आरक्षिती		3,89,838	9,91,491	2,35,689	10,01,906
मोटर कार		12,66,029		12,66,029	
घटाएं: मूल्यह्रास आरक्षिती		5,65,941	7,00,088	4,15,648	8,50,381
बिजली के उपकरण		12,48,223		12,20,036	
घटाएं: मूल्यह्रास आरक्षिती		4,05,346	8,42,877	2,67,926	952,110
			1,13,20,440		**84,53,471**
निवेश	4		**90,70,35,23,524**		**49,28,11,93,135**
चालू परिसम्पत्तियां					
रोकड़ शेष			3,098		2,687
बैंक में शेष राशि	5		9,39,70,070		23,8,72,935
प्राप्त राशियां	6		34,61,60,886		17,23,64,181
जमा राशियां (किराया)			70,20,000		70,20,000
गारंटी दावों का अग्रिम भुगतान			6,36,637		6,36,637
कर प्राधिकरणों से वापसी योग्य रकम	7		4,56,08,17,192		4,04,98,15,515
कुल			**95,72,34,51,847**		**53,54,33,58,561**
लेखे से सम्बद्ध टिप्पणियां	9				

हमारी सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते जैन त्रिपाठी एंड कं.
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं. 103979डब्ल्यू)

(डी.पी. त्रिपाठी) सदस्यता सं. 013593
साझेदार

स्थानः मुम्बई
दिनांकः 20 सितम्बर, 2018

उक्त तुलनपत्र और इसमें संलग्न अनुसूचियों का हम एतद्द्वारा सत्यापन करते हैं

न्यासी मंडल की ओर से

हस्ता./–
(मोहम्मद मुस्तफ़ा, आई.ए.एस.)
अध्यक्ष

हस्ता./–
(राम मोहन मिश्रा, आई.ए.एस.)
उपाध्यक्ष

हस्ता./–
(एस.एन. सिंह)
सदस्य सचिव

आय एवं व्यय

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई)
31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

विवरण	अनुसूचियां	(राशि ₹में)	
		वर्तमान वर्ष वित्तीय वर्ष 2017–18	विगत वर्ष वित्तीय वर्ष 2016–17
आय			
निवेश पर ब्याज		5,23,87,13,593	4,27,25,03,159
म्युचुअल फंड से आय		13,30,91,902	3,74,62,211
गारंटी फीस		1,78,48,82,816	1,74,06,47,189
वार्षिक गारंटी शुल्क		4,41,07,47,796	3,44,34,77,535
वार्षिक सेवा शुल्क		32,98,36,745	84,02,02,916
विविध आय		27,22,563	8,97,598
दंडात्मक ब्याज से आय		2,30,121	2,01,353
भुगतान किये गये दावे खाते पर एमएलआई से वसूलियां		1,77,94,37,013	1,25,49,54,270
बट्टे खाते डाला गया मूल्यह्रास		-	27,37,771
		13,67,96,62,549	**11,59,30,84,002**
व्यय			
परिचालन और अन्य प्रशासनिक व्यय	8	7,70,46,173	6,72,40,352
गारंटी दावों के लिए प्रावधान		13,14,84,00,000	11,26,11,00,000
अदा किये गये सेवाकर पर ब्याज		-	4,30,931
बैंक प्रभार		1,652	15,519
मूल्यह्रास		22,00,348	15,53,787
		13,22,76,48,173	**11,33,03,40,589**
व्यय की तुलना में आय का आधिक्य		**45,20,14,376**	**26,27,43,413**
जोड़ें/(घटाएं): पूववर्ती अवधि की मदें		(72,240)	-
कर से पूर्व अधिशेष		**45,19,42,136**	**26,27,43,413**
जोड़ें: आयकर प्रावधान पुनरांकित		2,07,605	-
घटाएं: आयकर हेतु प्रावधान		-	11,4,20,000
कर पश्चात अधिशेष		**45,21,49,741**	**25,13,23,413**
घटाएं: सामान्य आरक्षिती को अंतरण		-	-
व्यय की तुलना में आय के अधिशेष को समूह निधि में शामिल किया गया		**45,21,49,741**	**25,13,23,413**
खातों से सम्बद्ध टिप्पणियां	9		

हमारी सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते जैन त्रिपाठी एंड कं.
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं. 103979डब्ल्यू)

(डी.पी. त्रिपाठी) सदस्यता सं. 013593
साझेदार

स्थान: मुम्बई
दिनांक: 20 सितम्बर, 2018

उक्त तुलनपत्र और इसमें संलग्न अनुसूचियों का हम एतद्द्वारा सत्यापन करते हैं

न्यासी मंडल की ओर से

हस्ता./–
(मोहम्मद मुस्तफ़ा, आई.ए.एस.)
अध्यक्ष

हस्ता./–
(राम मोहन मिश्रा, आई.ए.एस.)
उपाध्यक्ष

हस्ता./–
(एस.एन. सिंह)
सदस्य सचिव

नकदी प्रवाह विवरण

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई)
31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(₹करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2018		31 मार्च, 2017	
परिचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
आय एवं व्यय विवरणी के अनुसार		**45,21,49,741**		**25,13,23,413**
कर पश्चात व्यय पर आय का आधिक्य				
जोड़ें: आय एवं व्यय खातों में नामे मूल्यह्रास	22,00,348		15,53,787	
जोड़ें: सेवा कर पर प्रदत्त ब्याज	-		4,30,931	
जोड़ें: आयकर के लिए प्रावधान	-		1,14,20,000	
जोड़ें: आय एवं व्यय खातों में नामें गारंटी दावों के संबंध में प्रावधान	13,14,84,00,000		11,26,11,00,000	
घटाएं: निवेश पर ब्याज	(5,23,87,13,593)		(4,27,25,03,159)	
घटाएं: म्युचुअल फंड से आय	(13,30,91,902)		(3,74,62,211)	
घटाएं: आय एवं व्यय खातों में वापिस लिया गया मूल्यह्रास	-		(2,737,771)	
		7,77,87,94,853		**6,96,18,01,577**
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व नकदी प्रवाह		**8,23,09,44,594**		**7,21,31,24,990**
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन				
प्राप्त राशियों में (वृद्धि)/कमी	(17,37,96,705)		3,26,11,827	
गारंटी दावों के अग्रिम भुगतान में (वृद्धि)/कमी	-		2,45,250	
कर प्राधिकरणों से वापसी योग्य राशि में (वृद्धि)/कमी	(11,54,178)		-	
वर्तमान देयताओं में (वृद्धि)/कमी	1,25,85,10,767		18,61,653	
		10,835,59,884		**3,47,18,730**
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन पश्चात नकदी प्रवाह में परिवर्तन		**9,31,45,04,478**		**72,478,43,720**
घटाएं:				
वर्ष के दौरान निपटाएं गये दावें	(9,67,79,67,222)		(10,62,27,39,157)	
कर की अग्रिम अदायगी	(50,98,47,499)		(42,72,36,502)	
		(10,18,78,14,721)		**(11,04,99,75,659)**
परिचालन कार्यकलापों से उत्पन्न/(प्रयुक्त) नकदी प्रवाह (क)		**(87,33,10,243)**		**(3,80,21,31,939)**
निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह				
वर्ष के दौरान अधिग्रहित स्थिर परिसम्पत्तियां	(50,67,317)		(56,48,757)	
वर्ष के दौरान निवेश में वृद्धि	(41,42,23,30,389)		(1,16,49,28,539)	
निवेश कार्यकलापों में प्रयुक्त निवल नकदी प्रवाह (ख)		**(41,42,73,97,706)**		**(1,17,05,77,296)**
वित्तपोषण कार्यकलापों से उत्पन्न नकदी प्रवाह				
वर्ष के दौरान समूह निधि में की गई वृद्धि	36,99,90,00,000		68,47,41,750	
सेवा कर पर अदा किया गया ब्याज	-		(4,30,931)	
म्युचुअल फंडो पर ब्याज आय	13,30,91,902		3,74,62,211	
निवेश पर ब्याज आय	5,23,87,13,593		4,27,25,03,159	
वित्तपोषण कार्यकलापों से उत्पन्न निवल नकदी प्रवाह (ग)		**42,370,805,495**		**4,99,42,76,189**
वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह में हुई निवल वृद्धि (क)+(ख)+(ग)		**70,097,546**		**2,15,66,954**
नकद एवं नकद समतुल्य का आरंभिक शेष		**23,875,622**		**23,08,668**
नकद एवं नकद समतुल्य का अंतिम शेष		**93,973,168**		**2,38,75,622**

टिप्पणियां

1. नकद राशियां एवं नकद समतुल्य से तात्पर्य नकद एवं बैंक में शेष राशि से है।
2. कोष्ठक में दिये गये आंकड़ें नकद राशियों के बहिर्गमन को दर्शाते हैं।
3. 31 मार्च, 2018 को नकद राशियां एवं नकदी समतुल्य राशियों में निम्नांकित है :

	31 March 2018	**31 March 2017**
नकद राशियां	3,098	2,687
बैंक में शेष	9,39,70,070	2,38,72,935
कुल	**9,39,73,168**	**2,38,75,622**

4. जहां कहीं आवश्यक हुआ पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहित किया गया है।

कृते जैन त्रिपाठी एंड कं.
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं. 103979डब्ल्यू)

(डी.पी. त्रिपाठी) सदस्यता सं. 013593
साझेदार

स्थानः मुम्बई
दिनांकः 20 सितम्बर, 2018

हस्ता./–
(राम मोहन मिश्रा, आई.ए.एस.)
उपाध्यक्ष

न्यासी मंडल की ओर से

हस्ता./–
(मोहम्मद मुस्तफ़ा, आई.ए.एस.)
अध्यक्ष

हस्ता./–
(एस.एन. सिंह)
सदस्य सचिव

अनुसूची

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई)
31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र के निर्धारक भाग की अनुसूचियां

विवरण	31.03.2018 की स्थिति (₹)	31.03.2017 की स्थिति (₹)
अनुसूचीः 1		
समूह निधि		
निम्नलिखित से प्राप्त		
भारत सरकार	56,99,90,33,000	20,00,00,33,000
सिडबी	5,00,00,00,000	5,00,00,00,000
(सिडबी से आरएसएफ–1 एवं 2 के लिए प्राप्त क्रमशः रु. 25,00,00,000 एवं रु. 7,77,50,000)		
(क)	**61,99,90,33,000**	**25,00,00,33,000**
व्यय की तुलना में आय का आधिक्य		
अग्रेषित शेष	9,68,85,71,114	9,43,72,47,701
जोड़ें: वर्तमान वर्ष का अतिशेष	45,21,49,741	25,13,23,413
(ख)	**10,14,07,20,855**	**9,68,85,71,114**
(क+ख)	**72,13,97,53,855**	**34,68,86,04,114**
अनुसूचीः 2		
सामान्य आरक्षितियां		
अग्रेषित शेष	74,20,662	74,20,662
जोड़ें : आय एवं व्यय खाते से अंतरित	-	-
(क+ख)	**74,20,662**	**74,20,662**
अनुसूचीः 3		
चालू देयताएं एवं प्रावधान		
गारंटी दावों के लिए प्रावधान (अनुसूची 9 की टिप्पणी सं. 8 देखें)	2,14,54,9,48,313	17,98,45,15,536
व्यय के प्रति बकाया देयताएं	86,56,129	51,39,666
सिडबी को प्रतिपूर्ति योग्य धनराशि	23,87,452	24,18,524
देय गारंटी दावे	61,32,907	54,61,344
देय टीडीएस	12,97,105	8,07,927
देय व्यावसायिक कर	2,600	6,700
प्रतिदेय गारंटी शुल्क	13,49,260	13,36,043
प्रतिदेय वार्षिक शुल्क/गारंटी शुल्क	6,45,960	1,82,53,734
डीसी (हस्तशिल्प एवं हथकरघा) भारत सरकार से जीएफ एवं एएसएफ के लिए प्राप्त अग्रिम	25,22,133	47,87,350
गारंटी शुल्क के रूप में प्राप्त अग्रिम	88,05,62,476	82,08,87,958
देय जीएसटी कर/सेवा कर	21,33,16,692	20,36,231
समायोजन के लिए बकाया प्राप्तियां	-	11,03,808
जीएफ विनियोजन खाता	9,28,332	1,66,601
एएसएफ विनियोजन खाता	9,99,389	2,485
देय ब्याज	-	4,09,878
अग्रिम प्राप्त वार्षिक गारंटी नवीकरणीय शुल्क	1,00,25,28,582	-
	23,57,62,77,330	**18,84,73,33,785**
अनुसूचीः 4		
निवेश		
1) बैंकों में मियादी जमा में निवेश		
i) डीसी (हस्तशिल्प एवं हथकरघा), भारत सरकार से प्राप्त अग्रिम का निवेश	20,05,474	25,22,785
ii) समूह निधि और अन्य निधियों का निवेश	89,00,74,58,050	48,76,36,61,165
2) म्युचुअल फंड में निवेश	1,69,40,60,000	51,50,09,185
[म्युचुअल फंड में निवेश बाजार मूल्यः रु.169,72,85,280]		
	90,70,35,23,524	**49,28,11,93,135**

अनुसूची

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई)
31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र के निर्धारक भाग की अनुसूचियां

विवरण	31.03.2018 की स्थिति (₹)	31.03.2017 की स्थिति (₹)
अनुसूचीः 5		
बैंक शेष		
चालू खाते में:		
आईडीबीआई बैंक लि.	9,33,74,785	1,46,86,061
आईडीबीआई बैंक लि. – विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), भारत सरकार	3,75,731	4,67,749
आईडीबीआई बैंक लि. – विकास आयुक्त (हथकरघा), भारत सरकार	1,46,402	3,58,503
कॉर्पोरेशन बैंक	73,152	83,60,622
	9,39,70,070	**2,38,72,935**
अनुसूचीः 6		
प्राप्य धनराशि		
पूर्व–प्रदत्त व्यय	2,87,557	3,67,748
प्राप्य गारंटी दावे	17,76,760	17,77,269
प्राप्य वार्षिक सेवा शुल्क	29,98,928	26,76,676
प्राप्य वार्षिक गारंटी शुल्क	16,00,83,926	3,01,250
प्राप्त गारंटी शुल्क	2,15,20,187	5,111
इनपुट टैक्स क्रेडिट/प्राप्त सेनवैट क्रेडिट (प्रावधान)	28,97,717	10,00,594
प्रतिभार सेवाकर	-	8,16,23,084
सेवाकर (ईसी/एसएचसीई)	31,36,145	31,36,145
वसूली योग्य सेवाकर	15,34,36,206	8,14,76,304
वसूली योग्य जीएसटी	23,460	-
	3,461,60,886	**17,23,64,181**
अनुसूचीः 7		
कर प्राधिकरणों से प्राप्त होने वाली धनराशि		
प्रतिदेय आयकर 31/3/07	8,68,43,908	8,68,43,908
प्रतिदेय आयकर 31/3/08	3,99,29,054	3,99,29,054
प्रतिदेय आयकर 31/3/09	2,21,18,100	2,21,18,100
प्रतिदेय आयकर 31/3/13	23,72,09,453	23,72,09,453
अग्रिम कर, भुगतान किया गया टीडीएस 31/3/10	1,52,88,27,407	1,52,88,27,407
अग्रिम कर, भुगतान किया गया टीडीएस 31/3/11	51,48,14,555	51,48,14,555
अग्रिम कर, भुगतान किया गया टीडीएस 31/3/13	2,19,876	2,19,876
अग्रिम कर, भुगतान किया गया टीडीएस 31/3/14	1,43,95,52,963	1,43,95,52,963
अग्रिम कर, भुगतान किया गया टीडीएस 31/3/15	43,95,61,396	43,95,61,396
भुगतान किया गया टीडीएस 31/3/16	43,66,85,299	43,66,85,299
भुगतान किया गया टीडीएस 31/3/17	41,69,70,680	42,72,36,502
भुगतान किया गया टीडीएस 31/3/18	5,098,47,499	-
(क)	**5,67,25,80,190**	**5,17,29,98,513**
घटाएं:		
कर के लिए प्रावधान 31/3/10	1,11,17,62,998	1,11,17,62,998
कर के लिए प्रावधान 31/3/17	-	1,14,20,000
(ख)	**1,11,17,62,998**	**1,12,31,82,998**
कर प्राधिकरणों से वसूली योग्य राशियां (क)–(ख)=	**4,56,08,17,192**	**4,04,98,15,515**

अनुसूची

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई)
31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय के निर्धारक भाग की अनुसूचियां

विवरण	31.03.2018 की स्थिति (₹)	31.03.2017 की स्थिति (₹)
अनुसूचीः 8 **परिचालन एवं अन्य प्रशासनिक व्यय**		
एसीएसआईसी व्यय	-	5,11,737
विज्ञापन एवं प्रचार व्यय	-	52,044
लेखापरीक्षक को पारिश्रमिक	3,35,000	3,10,000
परिवहन व्यय	4,67,825	4,33,272
कूरियर/डाक प्रभार	66,590	83,962
बिजली संबंधी व्यय	11,07,400	11,30,670
बीमा प्रभार	46,919	27,476
आंतरिक लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक	2,85,000	2,85,000
आईटी सेवा	1,26,34,473	95,46,053
सदस्यता शुल्क	1,00,000	1,00,000
विविध व्यय	8,84,812	9,43,818
परिसर रखरखाव व्यय	1,71,456	6,03,839
कार्यालय व्यय	27,35,064	13,54,287
कार्यालय का किराया	1,55,18,036	1,40,40,000
कार्मिक लागत एवं व्यय	3,80,04,631	3,51,41,826
मुद्रण एवं लेखन–सामग्री	5,93,244	4,89,609
अधिवक्ता शुल्क	2,48,000	1,60,000
व्यावसायिक शुल्क	27,43,333	8,98,167
सुरक्षा व्यय	3,15,290	2,65,416
टेलीफोन व्यय	2,50,430	2,50,891
यात्रा संबंधी व्यय	5,38,670	6,12,285
	7,70,46,173	**6,72,40,352**

अनुसूची

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई)
31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय के निर्धारक भाग की अनुसूचियां

विवरण	31.03.2018 की स्थिति (₹)	31.03.2017 की स्थिति (₹)
सूची–1 : कार्मिक व्यय		
कर्मचारियों को वेतन एवं भत्ते (सिडबी)	1,61,14,660	1,45,59,972
संविदा पर रखे गये स्टॉफ को वेतन एवं भत्ते	2,06,71,509	1,95,84,240
कूपन व्यय (सोडेक्सो)	12,18,462	9,97,614
	3,80,04,631	**3,51,41,826**
सूची–2 : विविध व्यय		
ब्याज का भुगतान	1,948	54,470
अपील शुल्क	1,000	3,450
मरम्मत एवं रखरखाव	82,344	1,34,880
अन्य व्यय	-	25,043
कर्मचारी कल्याण	4,45,510	3,70,690
स्वच्छ भारत उपकर	64,047	2,72,874
विविध व्यय	2,89,963	82,411
	8,84,812	**9,43,818**
सूची–3 : मुद्रण एवं लेखनसामग्री		
मुद्रण व्यय	2,64,400	1,79,876
लेखनसामग्री एवं कम्प्यूटर उपभोज्य	3,28,844	3,09,733
	5,93,244	**4,89,609**
सूची–4 : विविध आय		
विविध प्राप्तियां	2,472	6,67,654
विविध आय	24,31,867	-
निविदा शुल्क	5,934	13,500
सेवा में देरी के लिए जुर्माना (अनुबंधित)	2,47,790	2,16,444
स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ	34,500	-
	27,22,563	**8,97,598**
सूची–5 : व्यय के प्रति बकाया देयताएं		
के.एस. सांघवी एंड कं.	68,625	3,25,500
ईएसडीएस	34,662	-
के.ए. पंडित	31,500	31,500
खंडेलवाल जैन एंड कं.	9,78,209	3,67,500
जैन त्रिपाठी एंड कं.	3,01,500	-
पाथ इंफोटेक	23,84,063	18,86,793
रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लि.	4,74,696	4,75,000
प्रोफेशनल कूरियर्स	4,839	11,186
ओरिएंट टेक्नोलॉजीज	1,99,707	-
अनुबंधित कर्मचारियों को वेतन देय	5,98,152	-
एम.पी. चितले	-	6,55,201
टीएंडएम सर्विसेज कंसल्टिंग प्रा. लि.	7,06,109	8,94,008
सीएनके एंड एसोसिएट्स एलएलपी	-	1,68,000
बकाया देयताएं	2,61,717	3,15,528
कोचर एंड एसोसिएट्स	-	4,200
पी. भाटिया एंड कं.	-	5,250
आईआईडीएल रियलटर्स प्रा. लि.	14,53,140	-
कॉम्परैक्स इंडिया प्रा. लि.	8,01,514	-
एडवर्टाइजिंग एंड एक्टिवेशन्स	3,57,696	-
	86,56,129	**51,39,666**

तुलन-पत्र एवं आय और व्यय खाते की अनुसूची

अनुसूची–9

1. **महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां**

क) लेखांकर परिपाटियां

ऐतिहासिक लागत लेखांकन सहित सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए इन वित्तीय विवरणों को तैयार किया गया है।

ख) आय एवं व्यय का निर्धारण

न्यास लेखांकन के व्यापारिक आधार का अनुपालन करता है, जब तक कि अन्यथा इंगित न किया गया हो। न्यास के आय के मुख्य स्रोतों का आय निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है'

गारंटी शुल्क

संबंधित सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं से भुगतान प्राप्त होने और बैंक खाते में जमा होने के पश्चात ही इसे गारंटी शुल्क से आय के रूप में निर्धारित किया जाता है।

मियादी जमाराशियों पर ब्याज आय

मियादी जमाराशियों पर ब्याज आय का निर्धारण उपचय आधार पर किया जाता है।

भुगतान किये गये दावों पर सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं से वसूली

सदस्य ऋणदात्री संसथाओं से की गई वसूली पर आय का निर्धारण तब किया जाता है, जब राशि की वसूली हो जाती है।

म्युचुअल फंड से आय

म्युचुअल फंड की यूनिटों के मोचन के समय पूंजीगत लाभ के परिकलन के प्रयोजन से म्युचुअल फंड की लागत की गणना भारित औसत आधार पर की जाती है। लाभ का निर्धारण मोचन पर किया जाता है।

ग) अचल परिसंपत्तियां

वित्तीय विवरणों में अचल परिसंपत्तियों का निर्धारण लागत पर किया गया है। लागत में खरीद, भाड़ा, परिवहन और उसे वर्तमान स्थान तथा स्थिति में लाने पर हुई अन्य लागत शामिल हैं।

अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित किये गये अनुसार अनुमानित उपयोग अवधि के आधार पर सीधी रेखा पद्धति के अनुसार किया गया है।

घ) निवेश

न्यास के निवेशों में बैंकों/वित्तीय संस्थानों में सावधि जमा राशियों पर निवेश और म्युचुअल फंड में निवेश शामिल है।

म्युचुअल फंड में निवेश भारित औसत लागत में से वर्ष के दौरान हुई हानि, यदि कोई हो, घटाकर या बाजार मूल्य, जो भी कम हो, पर वर्णित है। मियादी जमा राशियों पर निवेश लागत तथा उस पर उपचित ब्याज के साथ वर्णित है। विकास आयुक्त (हथकरघा) और विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), भारत सरकार के कार्यालयों से प्राप्त निधियों से संबंधित निवेश, तुलनपत्र में अलग से दर्शाये गये हैं।

ड) पूर्व अवधि समायोजन

पूर्ववर्ती/गत वर्षों से संबंधित व्यय और आय का परिकलन पूर्ववर्ती अवधि की मदों के तौर पर किया गया है।

च) सेवानिवृत्ति लाभ

इस ट्रस्ट में प्रतिनियुक्ति पर आए अपने कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति का लाभ सिडबी द्वारा प्रदान किया जाता है और इसे प्रतिपूर्ति आधार पर वार्षिक रूप से राजस्व खाते में प्रभारित किया जाता है।

छ) आस्थगित कर

आस्थगित कर को सम्मिलित नहीं किया गया है क्योंकि यह निश्चित नहीं है कि भावी करयोग्य आय के सम्मुख आस्थगित परिसम्पत्तियों की उगाही हो जाए अथवा आस्थगित देयताओं का निपटान हो जाए।

2. ट्रस्ट को संचयी आधार पर 31 मार्च 2018 तक 72 सदस्य ऋणदात्री सदस्यों से 1,95,160 (गत वर्ष 1,56,447) दावा आवेदन प्राप्त हुए हैं। ट्रस्ट ने मुख्य रूप से प्रथम किस्त के रूप में 1,72,003 (गत वर्ष 1,36,408) पात्र दावों के लिए ₹4,439.55 करोड़ (गत वर्ष ₹3,529 करोड़) का निपटान किया। सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं ने 212 आवेदन वापस लिये। प्रतिभूति के बारे में विवरण/अनुदान राशि के बारे में मांगी गई अतिरिक्त जानकारी प्राप्त नहीं हुई है और इसलिए दावों को अस्थाई तौर पर बंद कर दिया गया है। 31 मार्च, 2018 की यथास्थिति के अनुसार 2,621 (गत वर्ष 2,546) आवेदन निपटान के लिए लंबित थे, जो बाद में निपटाए गए।

3.

(₹करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 को	31.03.2017 को
गारंटी अनुमोदन	1,46,828	1,28,787
जारी की गई गारंटी	1,35,587	1,17,993
स्वीकृत गारंटी, बकाया निष्पादन	11,241	10,794
बकाया गारंटी	70,310	67,762
बकाया गारंटी से सीजीटीएमएसई की समग्र देयता	50,660	49,567
प्रथम दावा किस्त के प्रति सीजीटीएमएसई की देयता	37,995	37,175

रोके गये दावों के प्रावधानों के अतिरिक्त, दी गई/स्वीकृत गारंटी हेतु एमएसई के लिए एमएलआई द्वारा ऋणों के गैर–निष्पादन के कारण दी गई गारंटी/अनुमोदन के लिए ट्रस्ट की आकस्मिक रूप से देयता होती है।

4. ट्रस्ट स्टाफ और आईटी सेवा की सुविधाओं सिडबी से प्राप्त कर रहा है। सिडबी और ट्रस्ट के बीच 4 अक्टूबर, 2001 को हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार ट्रस्ट की आरे से सिडबी द्वारा प्रशासनिक व्यय के रूप में, किये गये व्यय के लिए ट्रस्ट 20 प्रतिशत की दर से सेवा शुल्क का भुगतान करता है जो कि जुलाई, 2009 तक सीधे ट्रस्ट के कार्यों के लिए किये जाते थे। यद्यपि, आपस में मिलकर किये गये निर्णय के अनुसार अगस्त 2009 से इसे समाप्त कर दिया गया।

5. ट्रस्ट पहली बार में निपटाए गये दावे के 75 प्रतिशत का भुगतान करता है, शेष राशि का भुगतान सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा निर्धारित कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद किया जाता है। 2,297 मामलों (गत वर्ष 786 मामले) में 25 प्रतिशत का परावर्ती भुगतान किया गया। यद्यपि, अन्य मामलों में सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा कानूनी अपेक्षाओं का अनुपालन अभी किया जाना है, जिससे वे शेष रकम प्राप्त करने के लिए पात्र बनते हैं।

6. लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक ₹3,35,000/– (गत वर्ष ₹3,10,000/–) है शुल्क में कर शामिल नही हैं:

(राशि ₹में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
लेखापरीक्षा शुल्क	2,75,000	2,50,000
कर लेखापरीक्षा शुल्क	60,000	60,000
कुल	**3,35,000**	**3,10,000**

7. कराधान

7.1 प्रत्यक्ष कराधान

ट्रस्ट को वित्त अधिनियम 2002 द्वारा 01.04.2002 से आयकर अधिनियम, 1961 (''अधिनियम'') की धारा 10(23ईबी) के अंतर्गत अधिसूचित किया गया था और तद्नुसार निर्धारण वर्ष 2002–03 से निर्धारण वर्ष 2006–07 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए अधिनियम की धारा 10(23ईबी) के अंतर्गत ट्रस्ट की आय को छूट दी गई थी।

ट्रस्ट को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था और तद्नुसार इसने निर्धारण वर्ष 2007–08 तथा निर्धारण वर्ष 2008–09 के लिए अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत छूट का दावा किया। संबंधित निर्धारण वर्षों के लिए छूट का दावा करते समय, अधिनियम की धारा 11(2) के अनुसार ट्रस्ट ने आय का 85 प्रतिशत संचय किया और इसे उन उद्देश्यों के लिए व्यय किया जाना था जिसके लिए उसकी स्थापना की गई थी।

वित्त अधिनियम, 2008 ने 01.04.2008 अर्थात् निर्धारण वर्ष 2009–2010 से धारा 2(15) को संशोधित किया। तद्नुसार ट्रस्ट ने निर्धारण वर्ष 2009–10 के बाद धारा 11 के लाभ और आय के संचयन का दावा नहीं किया है। तथापि, ट्रस्ट द्वारा निर्धारण कार्यवाहियों के दौरान अधिनियम की धारा 11 (i) (ए) के अंतगर्त 15% कटौती का दावा किया है।

आयकर निदेशक (छूट)–डीआईटी)(ई) ने दिनांक 07.12.2011 के आदेशानुसार यह निष्कर्ष दिया था कि निर्धारिती ट्रस्ट द्वारा संचालित गतिविधियां व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय आदि की प्रकृति की है तथा धारा 2(15) के संशोधित प्रावधानों का संदर्भ देते हुए, इस ट्रस्ट को धारा 12ए के तहत प्रदान पंजीकरण निर्धारण वर्ष 2009–10 से वापस ले लिया था। ट्रस्ट ने इस आदेश के खिलाफ आयकर अपीलीय प्राधिकरण (आईटीएटी) के समक्ष अपील की थी जिसमें आदेश दिनांक 28.05.2014 के माध्यम से ट्रस्ट के पक्ष में निर्णय आया और आईटी अधिनियम की धारा 12ए के अंतर्गत ट्रस्ट का पंजीकरण पुनः बहाल कर दिया गया था। आईटीएटी के कथित आदेश के खिलाफ विभाग ने मुंबई उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दाखिल की थी जो कि आदेश दिनांक 02.08.2017 के माध्यम से निरस्त की गई थी। इस प्रकार, 12ए/12एए के अधीन ट्रस्ट का पंजीकरण यथावत रहेगा।

निर्धारण वर्ष 2009–10 हेतु मूल्यांकन कार्यवाहियों को अंतिम रूप देते समय, निर्धारण अधिकारी (ए.ओ.) ने धारा 143(3) के तहत एक आदेश पारित किया जिसमें उन्होंने मूल्यांकन कार्यवाहियों के दौरान अधिनियम की धारा 11(1)(क) के अंतर्गत 15 प्रतिशत कटौती के दावे को रद्द कर दिया है। इस निर्णय के खिलाफ ट्रस्ट ने सीआईटी (ए) के समक्ष अपील दायर की है। जिसकी 24.01.2018 को सुनवाई हुई और निर्णय प्रतोक्षिति है। इस वर्ष के लिए कोई मांग बकाया नहीं है।

निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिए मूल्यांकन कार्यवाहियों को अंतिम रूप देते समय निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण वर्ष 2007–08 और निर्धारण वर्ष 2008–09 के दौरान धारा 11(2) के अंतर्गत संचयी राशि के तौर पर क्रमशः रु. 94,38,84,008/– और निर्धारण वर्ष 2009–10 से डीआईटी(ई), मुम्बई द्वारा धारा 12(ए) के तहत ट्रस्ट का पंजीकरण वापिस लिया गया है इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए रु. 154,61,77,037/– के संयोजन का प्रावधान किया था और ट्रस्ट के अवस्थापक नामतः एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार (जीओआई) और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक से समूह निधि के प्रति प्राप्त रु. 166,41,00,000/– को जोड़ा था और ट्रस्ट अधिनियम की धारा 11 के तहत कोई भी लाभ पाने का पात्र नहीं है। कथित संयोजन के खिलाफ, ट्रस्ट ने आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष एक याचिका दाखिल की थी जिसे अपने आदेश दिनांक 28.07.2014 के माध्यम से निरस्त कर दिया गया था। माननीय आईटीएटी ने अपने आदेश दिनांक 20.01.2017 के माध्यम से ट्रस्ट को अधिनियम की धारा 11 एवं 12 के तहत छूट के दावे की अनुमति दी है। माननीय आईटीएटी ने यह भी कहा है कि जैसा कि अधिनियम की धारा 11 एवं 12 के अंतर्गत लाभों के लिए निर्धारिती को दावे की अनुमति दी है, इसलिए निर्धारिती समूह निधि के प्रति अवस्थापकों द्वारा किये गये अंशदान के संयोजन जारी करने में सक्षम है। कथित आईटीएटी आदेश के खिलाफ विभाग ने मुंबई उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की है। उसके बाद आईटीएटी आदेश दिनांक 25.07.2017 को प्रभावी मानते हुए यह आदेश दिनांक 09.08.2017 को प्राप्त हुआ है। ट्रस्ट ने अन्य वर्षों के लिए कुछ मांगों को समायोजित करने के बाद डिमांड ड्राफ्ट दिनांक 11.04.2018 के माध्यम से ₹16,73,47,440 का रिफंड प्राप्त किया है। ट्रस्ट ने रिफंड राशि का उपयोग करने और अधिनियम की धारा 244 ए के तहत ब्याज के साथ रिफंड जारी करने के लिए पत्र दिनांक 12.09.2017 दाखिल किया है जिस पर कार्यवाही चल रही है।

निर्धारण वर्ष 2011–12 हेतु मूल्यांकन कार्यवाहियों को अंतिम रूप देते समय, निर्धारण अधिकारी ने धारा 143(3) के अंतर्गत जारी आदेश में वर्ष के दौरान ट्रस्ट के अवस्थापकों से समूह निधि के प्रति अंशदानों के रूप में ₹2,50,00,00,000/– की अतिरिक्त राशि भी जोड़ी है, जिसे इस अधिनियम की धारा 2(24)(iiए) के अंतर्गत स्वैच्छिक अंशदान के रूप में आय की तरह माना गया है और तद्नुसार ₹102,96,29,110/– की मांग की गई है। इस अतिरिक्त राशि को जोड़ें जाने के खिलाफ ट्रस्ट ने सीआईटी(ए) के समक्ष के अपील दायर की थी जिसे माननीय सीआईटी (ए) ने निर्धारण वर्ष 2010–11 के सीआईटी (ए) के आदेश के मद्देनजर अपील को खारिज कर दिया । ट्रस्ट ने ₹102,96,29,110 की मांग में से 31.03.2015 तक किस्तों में ₹51,48,14,555/– का भुगतान कर दिया था। सीआईटी(ए) के आदेश के खिलाफ ट्रस्ट ने माननीय आईटीएटी में एक अपील दाखिल की है। माननीय आईटीएटी ने अपने आदेश दिनांक 26.02.2018 के माध्यम से निर्धारित की अपने मामले में निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिए आईटीए 6282/मुम्बई/2014 में अपने सहायक 'सी' बेंच के आदेश के पालन द्वारा निर्धारिती ट्रस्ट को अपील की अनुमति दी है। ट्रस्ट ने अपने पत्र दिनांक 01.03.2018 के माध्यम से आईटीएटी आदेश दिनांक 26.02.2018 को प्रभावी मानते हुए निर्धारण अधिकारी से आदेश पास करने और ब्याज के साथ भुगतान किये गये कर की वापिसी का अनुरोध किया है जो अभी लंबित है।

निर्धारण वर्ष 2012–13 के लिए मूल्यांकन कार्यवाहियों को अंतिम रूप देते समय, निर्धारण अधिकारी ने वर्ष के दौरान ट्रस्ट के अवस्थापकों से समूह निधि के प्रति अंशदानों के रूप में प्राप्त ₹2,22,50,000/– की अतिरिक्त राशि भी जोड़ी है, जिसे इस अधिनियम की धारा 2(24)(iiए) के अंतर्गत स्वैच्छिक अंशदान के रूप में आय की तरह माना गया है और इस अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत पारित अपने आदेश दिनांक 13.10.

2015 के द्वारा ₹10,40,35,270/– की मांग को संशोधित करके ₹69,44,000/– किया था। कथित संयोजन के खिलाफ ट्रस्ट ने सीआईटी(ए) के समक्ष एक अपील दाखिल की है जिस पर 24.01.2018 को सुनवाई की गई है और आदेश प्रतीक्षारत है।

निर्धारण वर्ष 2013–14 हेतु मूल्यांकन कार्यवाहियों को अंतिम रूप देते समय, निर्धारण अधिकारी ने वर्ष के दौरान ट्रस्ट के अवस्थापकों से समूह निधि के प्रति अंशदानों के रूप में प्राप्त ₹42,77,50,000/– की अतिरिक्त राशि भी जोड़ी है, जिसे इस अधिनियम 1961 की धारा 2(24)(iiए) के अंतर्गत स्वैच्छिक अंशदान के रूप में आय की तरह माना गया है और ₹10,48,59,600/– की धन वापिसी निर्धारित की गई जिसे निर्धारण वर्ष 2011–12 के लिए मांग राशि के अधीन समायोजित किया गया है। इस अतिरिक्त दावे के खिलाफ ट्रस्ट ने सीआईटी(ए) में अपील दाखिल की है जिस पर 24.01.2018 को सुनवाई की गई है और आदेश प्रतीक्षारत है।

निर्धारण वर्ष 2014–15 हेतु मूल्यांकन कार्यवाहियों को अंतिम रूप देते समय, निर्धारण अधिकारी ने वर्ष के दौरान ट्रस्ट के अवस्थापकों से समूह निधि के प्रति अंशदानों के रूप में प्राप्त ₹93,73,75,000/– की अतिरिक्त राशि भी जोड़ी है, जिसे इस अधिनियम की धारा 2(24)(iiए) के अंतर्गत स्वैच्छिक अंशदान के रूप में आय की तरह माना गया है और ₹52,17,58,560/– की धन वापिसी निर्धारित की गई । इसके अलावा, आईडी.एओ ने ₹55,02,16,378/– की रिटर्न हानि के अधीन रु. शून्य की रिटर्न आय माना है। कथित आदेश के खिलाफ ट्रस्ट ने सीआईटी (ए) के समक्ष अपील दाखिल की थी। माननीय सीआईटी(ए) ने अपने आदेश दिनांक 27.12.2017 के माध्यम से निर्धारिती ट्रस्ट द्वारा दाखिल अपील का निपटान किया गया है और निर्धारिती ट्रस्ट की अपील को स्वीकृति दी है। ट्रस्ट ने सीआईटी(ए) का आदेश प्रभावी करने संबंधी आदेश पारित करने के लिए 25.01.2018 को पत्र दाखिल किया है। ट्रस्ट ने 24.04.2018 को ₹1,22,87,44,100/– का रिफंड प्राप्त किया है।

निर्धारण वर्ष 2015–16 हेतु मूल्यांकन कार्यवाहियों को अंतिम रूप देते समय, निर्धारण अधिकारी ने वर्ष के दौरान ट्रस्ट के अवस्थापकों से समूह निधि के प्रति अंशदानों के रूप में प्राप्त ₹93,73,75,000/– की अतिरिक्त राशि भी जोड़ी है, जिसे अधिनियम, 1961 की धारा 2(24)(iiए) के अंतर्गत स्वैच्छिक अंशदान के रूप में आय की तरह माना गया है । इसके अलावा, आईडी.एओ ने ₹179,15,20,936/– की रिटर्न हानि के अधीन रु. शून्य की रिटर्न आय माना है। कथित आदेश के खिलाफ ट्रस्ट ने सीआईटी (ए) के समक्ष अपील दाखिल की है।

7.2 अप्रत्यक्ष कराधान

क) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, इंटेलीजेंस महानिदेशालय, चेन्नई ने 14.10.2014 को कारण बताओं नोटिस के द्वारा ट्रस्ट से सवाल किया है कि उसे प्राप्त होने वाले गारंटी शुल्क और वार्षिक सेवा शुल्क को ''व्यापार या वाणिज्य हेतु समर्थन सेवा'' क्यों न माना जाए। वित्त अधिनियम 1994 की धारा 65(104सी) जिसे धारा 65(105)(जेडजेडजेडक्यू) के साथ पढ़ा जाना चाहिए, के अंतर्गत ₹79,68,11,936/– का दावा और आकलन वर्ष 2009–10 से 30 जून, 2012 तक की अवधि हेतु धारा 75 के अंतर्गत ब्याज तथा धारा 76,77 एवं 78 के अंतर्गत अर्थ दंड क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। कारण बताओ नोटिस के जवाब में ट्रस्ट ने 17.12.2014 को अपना पक्ष प्रस्तुत किया और 17.04.2015 को व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थिति दर्ज की गई। इस संबंध में कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है।

ख) सेवा कर नियम, 1994 के नियम 5ए के तहत वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2014–15 तक की अवधि के लिए कर निर्धारित ट्रस्ट को सांविधिक लेखापरीक्षा के लिए चुना गया है। लेखा परीक्षा टिप्पणियों के आधार पर सहायक आयुक्त, सेवा कर, मुम्बई ने 18.04.2016 को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और ट्रस्ट से निम्नलिखित स्पष्टीकरण मागें हैं:

1. सिडबी से स्टॉफ की प्रतिनियुक्ति को व्यापार समर्थन सेवा गतिविधि के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए और धारा 75 के अंतर्गत ₹52,156/– का सेवा कर ब्याज सहित माँग नहीं किया जाना चाहिए और उसकी वसूली भी नहीं होनी चाहिए;
2. विकास आयुक्त से अप्रयुक्त अग्रिमों के अंश पर धारा 75 के अंतर्गत ब्याज सहित प्राप्त ₹1,74,760/– की मांग और वसूली नहीं की जानी चाहिए।
3. वित्त अधिनियम 1994 की धारा 75 के अंतर्गत अग्रिमों के समायोजित अंश पर विलंबित सेवा कर के प्रति विकास आयुक्त से प्राप्त राशि की मांग और वसूली नहीं की जानी चाहिए।
4. धारा 76 के अंतर्गत निर्धारित समय के भीतर सेवा कर की अदायगी में चूक और धारा 78 के अंतगत सेवा कर से बचने हेतु करयोग्य गतिविधियों और करयोग्य सेवाओं की सही प्रकृति और मूल्य को दबाना व गलत घोषणा करने पर देय दंड राशि की मांग और वसूली नहीं की जानी चाहिए।

   इस मामले में कर निर्धारिती न्यास ने पिछला उत्तर 23.08.2016 को प्रस्तुत किया था। इस संबंध में कोई भी आदेश/संप्रेषण अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। तत्पश्चात, सेवा कर उपायुक्त ने दिनांक 24.03.2017 के पत्र के माध्यम से स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या इसमें ऊपर खण्ड (ख) के उप–खण्ड (क) और (ख) के अंतर्गत उल्लिखित बिंदुओं के संबंध में 2015 के बाद समान कार्यप्रणाली जारी रखी गई है। इसके प्रतिउत्तर के रूप में न्यास ने दिनांक 18.04.2017 के माध्यम से उत्तर प्रस्तुत किया है।

ग) जम्मू एवं कश्मीर में स्थित सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं को प्रदत्त सेवाओं पर अदा सेवाकर की वापसी का दावा करने के लिए न्यास ने सहायक आयुक्त के समक्ष दिनांक 26.05.2015 को ₹1,07,71,826/– की वापसी का आवेदन दायर किया था, जिसे दिनांक 26.02.2016 को रद्द कर दिया गया है। न्यास ने उक्त आदेश के खिलाफ दिनांक 29.04.2016 को एक अपील दायर की है। जिसका निपटान अब तक लंबित है। अपील की सुनवाई की सूचना 04.04.2018 को प्राप्त हुई है और सुनवाई 17.04.2018 को हुई थी तथा अपीलीय आदेश अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

8. ट्रस्ट ने ऋणों में चूक के कारण अनुमानित अदायगी की बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त कर ली है।

तद्नुसार, अपनी रिपोर्ट में बीमांकिक द्वारा सुझाया गया अतिरिक्त प्रावधान 31.03.2018 को ₹1,314.84 करोड़ है। ऐसे दावों के लिए प्रावधान का विवरण नीचे दिया गया है:

राशि ₹ मे

विवरण	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
1 अप्रैल को प्रारंभिक शेष राशि	17,98,45,15,536	17,34,61,54,693
घटाएं: वर्ष के दौरान भुगतान किये गये दावे	9,67,79,67,223	10,62,27,39,157
जोडें: वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	13,14,84,00,000	11,26,11,00,000
31 मार्च को अंतिम शेष	2,145,49,48,313	17,98,45,15,536

गारंटी का तात्पर्य उस गारंटी राशि से है जिसकी ट्रस्ट के बैंक खाते में उगाही हो रही है।

9. विदेशी मुद्रा में व्यय का विवरण (वास्तविक आधार पर) (₹में)

राशि ₹ मे

विवरण	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
भागीदारी शुल्क	-	67,257
यात्रा और अन्य	-	3,21,989
सदस्यता शुल्क	-	67,257

10. जहां कहीं आवश्यक हुआ, विगत वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहित, पुनः वर्गीकृत और पुनः व्यवस्थित किया गया है।

कृते जैन त्रिपाठी एंड कं.
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं. 103979डब्ल्यू)
(डी.पी. त्रिपाठी) सदस्यता सं. 013593)
साझेदार

न्यासी मंडल की ओर से

हस्ता./–
(मोहम्मद मुस्तफ़ा, आई.ए.एस.)
अध्यक्ष

स्थानः मुम्बई
दिनांकः 20.09.2018

हस्ता./–
(राम मोहन मिश्रा, आई.ए.एस.)
उपाध्यक्ष

हस्ता./–
(एस.एन. सिंह)
सदस्य सचिव

नोट्स

सीजीटीएमएसई का पंजीकृत कार्यालयः
छठा तल, एमएसएमई डेवलपमेंट सेंटर, सिडबी, सी-11, जी-ब्लॉक,
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लैक्स, बांद्रा (पूर्व), मुम्बई-400 051
फोन +91-22-67221553 • टोल फ्री 1800 222 659
www.cgtmse.in https://www.facebook.com/CGTMSEOfficial/
https://twitter.com/CGTMSEOfficial CGTMSE Youtube Channel

degree360solutios.com